शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री जगदीश प्रधान

दिनांक : 27.02.2019

विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या : 32.

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या सरकार ने एक वर्ष के भीतर सभी अनाधिकृत बस्तियों को नियमित करने और इनका स्वामित्व अधिकार देने का कोई वादा किया था;	अनाधिकृत कॉलोनी (शहरी विकास विभाग) दिल्ली सरकार ने अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने का वादा किया है। दिल्ली सरकार द्वारा अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितिकरण के लिए संशोधित नियमावाली भारत सरकार के शहरी एवं आवासन मंत्रालय के पास लम्बित हैं। नियमावली के अनुमोदन के बाद की जायेगी
ख	यदि हां, तो इसका पूरा ब्यौरा दीजिए;	अनाधिकृत कॉलोनी (शहरी विकास विभाग) उपरोक्त 'क' के अनुसार ।
ग	इन कॉलोनियों का सीमांकन करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण दीजिए;	अनाधिकृत कॉलोनी (शहरी विकास विभाग) शहरी विकास विभाग दिल्ली सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए संशोधित विनियमण भारता सरकार के शहरी एवं आवासन मंत्रालय को 2015 में अनुमोदन के लिए भेजा था जिसने कॉलोनियों के सीमांकन की जानकारी मांगी थी । कॉलोनियों के सीमांकन के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनायी गयी :– 1. गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से सर्वेक्षण । 2. सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वेक्षण । 3. जी.एस.डी.एल. से सर्वेक्षण । इन सभी प्रयासों से असफल रहने पर शहरी विकास विभाग ने TSM Survey का निर्णय लिया और दो कम्पनियों को इसके लिये चुना जिन्हे राजस्व विभाग के नक्शे बनाकर देने थे और राजस्व विभाग को उन्हें प्रमाणित करना था । लेकिन तय समय सीमा में बहुत ही कम काम करने पर राजस्व विभाग के सलाह पर उन्हें इस काम से हटाया गया । वर्तमान में राजस्व विभाग के प्रस्ताव पर माननीय शहरी विकास विभाग मंत्री के अनुमोदन से ड्रोन तकनीक से सर्वेक्षण करने कार्य राजस्व विभाग को सोपा गया है ।
घ	क्या यह कार्य इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय को सौंपा गया था; और	अनाधिकृत कॉलोनी (शहरी विकास विभाग) सीमांकन का कार्य इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय को पूर्व में सौंपा जा चुका है ।
ड	यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा खर्च किया गया व्यय एवं अब तक इस संबंध में हुई प्रगति बताइये?	अनाधिकृत कॉलोनी (शहरी विकास विभाग) संतोषप्रद कार्य नहीं होने से इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कार्य में कोई प्रगति नहीं हो पायी है ।

Section Officer (Admn.)
Urban Development Deptt.
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Sectt., New Delhi